

अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/पुरुषार्थ के निर्माण की स्वीकृति स्वयंसेवक शिवा नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (व्यक्तिगत, राजनीतिक, धार्मिक/सामाजिक या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी बहिष्कारों के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही अपेक्षित निगम का सुचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शों के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

एकल खिड़की केवल आवासीय प्रयोजनार्थी

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 479 दिनांक 30/01/2020
 प्रार्थी मदनलाल 510 श्री लुण्ठकर
 ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 प-2/0-208 कामला नैटरन नगर
 धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय हरीय क्लस्टर
 भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 8500/- जमा
 जरिये रसीद संख्या 1028/1487, 1488
 दिनांक 30/01/2020 को जमा करा दी है ।

30/01/2020

सहायक नगर नियोजक
 नगर निगम, जोधपुर

Received from
Wan
 M-30280-77148

NOTARY JODHPUR
 26/1/19

नाम के इलाक़